झूथाराम – कालूराम 242/2012

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4.3.25	पत्रावली पेश / [illegible] दिनांक 20.3.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
20.3.25	पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.3.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	(हस्ताक्षर)
25.3.25	फ्रावील पेश । अपील अपीलांट... स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	(मुहर) ... अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 242/2012

1 झुथाराम पुत्र मालाराम दत्तक पुत्र हनुमान उम्र 50 साल जाति कुम्हार निवासी लाखनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 श्रीमती नर्बदा देवी उम्र 60 साल पुत्री हनुमान जाति कुम्हार पत्नी श्री चौथुराम निवासी जयरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 कालुराम पुत्र बिड़दूराम जाति जाट निवासी ढाणी बीजाकावाली तन लाखनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2012 उनवानी कालुराम बनाम झुथाराम आदि दावा संख्या 229/2006 न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री रणधीर सिंह काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 25/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 229/2006 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 283, 284, 287, 288, 289, 292, 293, 296, 282, 295 वाके ग्राम लाखनी तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जैर अपील प्रकरा की पत्रावली दिनांक 08.08.2011 से लम्बे समय से सुनवायी हेतु तारीख पेशी में नही आ रही थी। जबकि प्रार्थी अपीलान्टस के अधिवक्ता विचारण न्यायालय के बारे में पूछते रहते थे। इसके बावजूद बिन प्रार्थी/अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को सूचित किये दिनांक 28.03.2012 को उक्त पत्रावली पेशी में लेना दिखाकर अगली सुनवायी की तिथि दिनांक 09.05.2012 नियत की गयी। दिनांक 09.05.2012 को भी बिना प्रार्थी/अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को सूचित किये ही एकतरफा कार्यवाही अमल में ले आये। जो प्राकृतिक न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों की स्पष्ट अवहेलना है। इसलिए भी आक्षेपित आदेश व डिक्री अपास्त होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता जैर अपील प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्ण सजगता से अपना पक्ष प्रस्तुत करने में बराबर तैयार व तत्पर रहे है यानि जैसे ही प्रथम बार सम्मन तामील हुए कि दिनांक 20.10.2006 व 26.10.2006 को अपने आपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। जैर अपील प्रकरण से संबंधित आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति होना जैसा नहीं मानकर खारिज किया तथा उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां की गयी जो भी खारिज हुई। इसके अतिरिक्त जैर अपील के मूल दावा में भी प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से दिनांक 09.05.2011 को जैर विवादित कृषि भूमि का प्रार्थी/अपीलान्ट का रिकार्डेड खातेदार होने के दस्तावेजी साक्ष्य के विस्तरित उल्लेख के साथ जवाब प्रस्तुत किया गया अर्थात प्रार्थी/अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता प्रत्येक स्टेज पर विचारण न्यायालय के यहां अपना पक्ष प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर रहने के बावजूद एक लम्बे समय तक प्रकरण में तारीख पेशी न देकर बाला बाला प्रार्थी/अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को मुगालते में रखकर दिनांक 09.05.2012 को प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इन सब परिस्थितियों का विवेचन, मात्र ही यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि जैर आक्षेपित आदेश कानून के मूलभूत पहलूओं की अनदेखी कर आक्षेपित आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए भी आक्षेपित आदेश व डिक्री अपास्त होने योग्य है। विधि के प्रावधानों के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र अपने स्वयं के तथ्यों, व साक्ष्यों पर ही प्रमाणित सिद्ध करवाना होता है न कि प्रतिवादी के कमजोर पक्ष के सहारे मात्र पर वाद डिक्री कर दिया जावे, जबकि आक्षेपित आदेश में विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में दावा डिक्री करने में महज प्रार्थी/अपीलान्ट की एकतरफा कार्यवाही को ही सहारा लिया है, जबकि इस तथ्य का आक्षेपित आदेश में कोई विवेचन नहीं है कि प्रार्थी/अपीलान्ट जो कि विवादित कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने के बनिस्पत रेस्पो./वादी का पक्ष किस साक्ष्य के बल पर प्रबल व सिद्ध माना है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश व डिक्री अपास्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजियात के 1/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–3 का का अवलोकन किया। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विवादग्रस्त आराजियात पर वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादिया नम्बर 2 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। वादी ही मौके पर काबिज काश्त एवं पुख्ता हवेली बनाकर आबाद है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 हाजिर अदालत आये है तथा जवाब दावा पेश किया परन्तु उसके बाद हाजिर अदालत नहीं आये। वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के बाद अपना पक्ष अदालत में रखने नहीं आना वादी के वाद पत्र की पुष्टि होना प्रतीत होता है जवाब दावा का अवलोकन किया। जिंसमें प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा अंकित किया गया है कि वादी की कृषि भूमि विवादग्रस्त आराजियात के उत्तरी पश्चिमी दिशा में है तथा हवेली व नोहरा भी विवादग्रस्त आराजियात में नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा अपने जवाब के बाद कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अदालत में हाजिर ही नहीं आये। प्रतिवादीगण के जवाब में वादी का कब्जा होना भी जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद की पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वाद एवं जवाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तीन तनकी कायम की गई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में तनकीवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में वादी ने साक्ष्य में केवल मात्र शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। शपथ पत्रों के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर विधिक त्रुटि की है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल मात्र कब्जे के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर खातेदार की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर